फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (stamp: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) मुकाम टोंक

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक टोंक बनाम सीताराम शर्मा बारागांव

किस्म मुकदमा गुण्डा एक्ट नं. 31 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-05-11	आज यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक टोंक ने एपीपी के माध्यम से गैरसायल सीताराम शर्मा उर्फ मर्दपुरा श्री हरिनारायण ब्राह्मण बारागांव ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष निवासी मालवा स्कूल बस स्टेण्ड मालपुरा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3)/8 राज गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि बाद समाअत सबूत कानूनी कार्यवाही जाकर गैर सायल को जिला टोंक से अन्य जिले में निष्कासित करने की कृपा करे। हमने प्रस्तुत इस्तगासे का अवलोकन किया, गैर सायल के विरुद्ध इस्तगासे में अंकित रिकार्ड अनुसार गत 6 माह में 3 अभियोग जुआ अधिनियम के पंजीबद्ध हुये है जिनमे तीनो में सजा हो चुकी है गैर सायल सट्टे की खाईवाली करने का आदि है जिससे समाज के लोगो पर काफी बुरा असर पड रहा है इसका स्वतन्त्र रहकर घूमना जनता के लिये दुखदाई हो गया है। अत: इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैरसायल के विरुद्ध राज गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करे। पत्रावली दिनांक 31-05-11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	549 12/5/11
31-5-11	पत्रावली पेश हुई। ए.पी.पी. 1 उपस्थित है। गैर सायल का नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली है वह बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अत: पत्रावली दिनांक 14-6-11 को ~~बहस~~ आदेश पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/2/19	APP-I उप० गैरसायल की पाबंदी मय तामील प्राप्त। गैरसायल की तलबी प्राप्त नहीं हुई है पुनः तलबी समन गैरसायल जरिये पुलिस अधीक्षक टोंक के मार्फत जारी हो। पत्रावली दिनांक 28-3-19 को पेश हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	
28/3/19	APP-I उप०। गैरसायल की जरिये समन मय तामील प्राप्त। गैरसायल बावजूद तामील के अनुपस्थित है अतः गैरसायल की तलबी जरिये 10,000/- रुपये जमानती वारंट जरिये पुलिस अधीक्षक टोंक की मार्फत पत्रावली दिनांक 18-4-19 को पेश हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	613-615 1-4-19
18/4/19	अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल उप० बहस सुनी गई। गैरसायल को आरोप पढ़कर सुनाया गया। गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार किया गया। गैरसायल को 6 माह की अवधि के लिए शांति बनाये रखने हेतु 10,000/- रुपये की जमानत व 10,000/- रुपये के स्वयं के मुचलके पर पाबंद किया जाता है। गैरसायल द्वारा तदनुसार जमानत/मुचलका पेश किये जिन्हें तस्दीक/प्रमाणित/स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल को 6 माह के लिए शांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज कर तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	सीताराम शर्मा 650-652 22-4-19

Scanned by CamScanner